

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आई. ए. एस.

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 01 / 2025 / बाड़मेर

### अपीलांट

1. सुजानाराम पुत्र श्री टीकमाराम जाति कलबी निवासी गयोका वास, असाड़ा तहसील पचपदरा।
2. माणकचन्द पुत्र मिठालाल के का. मु.
- 2/1. किशोर कुमार पुत्र माणकचन्द ओसवाल
- 2/2. अक्षय भंसाली पुत्र माणकचंद ओसवाल निवासी जेरला रोड़, बालोतरा तह. पचपदरा।

### रेस्पोंडेंटगण

1. भगीरथराम उर्फ भागीरथसिंह पुत्र हणुतारात जाति जाट निवासी वासनी तह. लक्षमणगढ़, तहसील व जिला सीकर।
2. अनिता पुत्री मोतीलाल जाति ओसवाल
3. काजु पुत्री मीठालाल जाति ओसवाल
4. कान्तादेवी पत्नी पुखराज जाति ओसवाल
5. गजराज पुत्र मीठालाल के का. मु.
- 5/1. अकुंश पुत्र गजराज जाति ओसवाल
- 5/2. सपना पुत्री गजराज जाति ओसवाल
6. गोकलचन्द पुत्र हिन्दुमल के का. मु.
- 6/1. राणमल पुत्र गोकलचन्द क का. मु. -
- 6/1/1. खीमराज पुत्र राणमल
- 6/1/2. दीपचन्द पुत्र राणमल
- 6/1/3. देवराज पुत्र राणमल
- 6/1/4. विमलादेवी पुत्री राणमल
- 6/1/5. शोभादेवी पुत्री राणमल
- 6/1/6. रेखादेवी पुत्री राणमल जातियान ओसवाल
7. गौतमचन्द पुत्र बादरमल जाति ओसवाल
8. घेवरचन्द पुत्र बंशाराज के का. मु.-
- 8/1. भंवरलाल पुत्र घेवरचन्द
- 8/2. गणपतलाल पुत्र घेवरचन्द
- 8/3. धनपत पुत्र घेवरचन्द
- 8/4. उगमराज पुत्र घेवरचन्द
- 8/5. पुष्पा पुत्री घेवरचन्द
- 8/6. पदमा पुत्री घेवरचन्द, जातियान ओसवाल
9. देवराज पुत्र राणमल
10. दीपचन्द पुत्र राणमल
11. नरेश कुमार पुत्र रायचन्द
12. प्रमोद पुत्र मोतीलाल
13. पिस्ता पुत्री मीठालाल
14. बदामी उर्फ कविता पुत्री मीठालाल
15. बिन्दु पुत्री पुखराज
16. भंवरलाल पुत्र मिसरीमल जातियान

(नवनीत कुमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

	<p>ओरावाल 17. भादरमल पुत्र हिन्दुमल के का. मु. 17/1. पुखराज पुत्र भादरमल के का. मु.- 17/1/1. रोहनराज पुत्र पुखराज 17/1/2. महावरीचन्द पुत्र पुखराज 17/1/3. जवेरीलाल पुत्र पुखराज 17/1/4. जसराज पुत्र पुखराज 17/1/5. ललीत कुमार पुत्र पुखराज जातियान ओसवाल 17/2. केवलचन्द पुत्र भादरमल के का. मु.- 17/2/1. कान्तिलाल पुत्र केवलचन्द 17/2/2. लालचन्द पुत्र केवलचन्द 17/2/3. राजेन्द्र पुत्र केवलचन्द 17/2/4. वसंत कुमार पुत्र केवलचन्द 17/3. नेमीचन्द पुत्र भादरमल 17/4. रायचन्द पुत्र भादरमल 17/5. गौतमचन्द पुत्र भादरमल 17/6. माणकचन्द पुत्र भादरमल, जातियान ओसवाल। 18. मनोज पुत्र पुखराज 19. माणकचन्द पुत्र भादरमल 20. मिथुन कुमार पुत्र रायचन्द 21. विनोद पुत्र मातीलाल 22. शकुन्तला पुत्री मीठालाल, जातियान ओसवाल, सभी निवासी असाड़ा, तह. पचपदरा, जिला बालोतरा। 23. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार पचपदरा।</p>
--	---

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 05/2023(2023/227) बअनवान भागीरथराम उर्फ भागीरथसिंह बनाम अनिता वगैरह में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.10.2024 के विरुद्ध पेश हुई।

और

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./02/2025/बाड़मेर

अपीलांत

रेस्पोंडेंटगण

1. सुजानाराम पुत्र श्री टीकमाराम जाति कलबी निवासी गयोका वास, असाड़ा तहसील पचपदरा।	1. भगीरथराम उर्फ भागीरथसिंह पुत्र हणुतारात जाति जाट निवासी बासनी तह. लक्षमणगढ़, तहसील व जिला सीकर।
2. माणकचन्द पुत्र मिठालाल के का. मु. 2/1. किशोर कुमार पुत्र माणकचन्द	2. अनिता पुत्री मोतीलाल जाति ओसवाल

(नवनीत कुमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

ओसवाल 2/2. अक्षय भंसाली पुत्र माणकचंद ओसवाल निवासी जेरला रोड़, बालोतरा तह. पचपदरा।	3. काजु पुत्री मीठालाल जाति ओसवाल 4. कान्तादेवी पत्नी पुखराज जाति ओसवाल 5. गजराज पुत्र मीठालाल के का. मु. 5/1. अकुंश पुत्र गजराज जाति ओसवाल 5/2. सपना पुत्री गजराज जाति ओसवाल 6. गोकलचन्द पुत्र हिन्दुमल के का. मु. 6/1. राणमल पुत्र गोकलचन्द क का. मु. - 6/1/1. खीमराज पुत्र राणमल 6/1/2. दीपचन्द पुत्र राणमल 6/1/3. देवराज पुत्र राणमल 6/1/4. विमलादेवी पुत्री राणमल 6/1/5. शोभादेवी पुत्री राणमल 6/1/6. रेखादेवी पुत्री राणमल जातियान ओसवाल 7. गौतमचन्द पुत्र बादरमल जाति ओसवाल 8. घेवरचन्द पुत्र बंशाराज के का. मु.- 8/1. भंवरलाल पुत्र घेवरचन्द 8/2. गणपतलाल पुत्र घेवरचन्द 8/3. धनपत पुत्र घेवरचन्द 8/4. उगमराज पुत्र घेवरचन्द 8/5. पुष्पा पुत्री घेवरचन्द 8/6. पदमा पुत्री घेवरचन्द, जातियान ओसवाल 9. देवराज पुत्र राणमल 10. दीपचन्द पुत्र राणमल 11. नरेश कुमार पुत्र रायचन्द 12. प्रमोद पुत्र मोतीलाल 13. पिस्ता पुत्री मीठालाल 14. बदामी उर्फ कविता पुत्री मीठालाल 15. बिन्दु पुत्री पुखराज 16. भंवरलाल पुत्र मिसरीमल जातियान ओसवाल 17. भादरमल पुत्र हिन्दुमल के का. मु. 17/1. पुखराज पुत्र भादरमल के का. मु.- 17/1/1. सोहनराज पुत्र पुखराज 17/1/2. महावरीचन्द पुत्र पुखराज 17/1/3. जवेरीलाल पुत्र पुखराज 17/1/4. जसराज पुत्र पुखराज 17/1/5. ललीत कुमार पुत्र पुखराज जातियान ओसवाल 17/2. केवलचन्द पुत्र भादरमल के का. मु.-
---	---

(नवनीत कुमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाइमेर

अपील संख्या 01/2025 बअनवान सुजानाराम वगैरह बनाम भगीरथराम वगैरह  
अपील संख्या 02/2025 बअनवान सुजानाराम वगैरह बनाम भगीरथराम वगैरह

17/2/1. कान्तिलाल पुत्र केवलचन्द
17/2/2. लालचन्द पुत्र केवलचन्द
17/2/3. राजेन्द्र पुत्र केवलचन्द
17/2/4. वसंत कुमार पुत्र केवलचन्द
17/3. नेमीचन्द पुत्र भादरमल
17/4. रायचन्द पुत्र भादरमल
17/5. गौतमचन्द पुत्र भादरमल
17/6. माणकचन्द पुत्र भादरमल, जातियान ओसवाल।
18. मनोज पुत्र पुखराज
19. माणकचन्द पुत्र वादरमल
20. मिथुन कुमार पुत्र रायचन्द
21. विनोद पुत्र मातीलाल
22. शकुन्तला पुत्री मीठालाल, जातियान ओसवाल, सभी निवासी असाड़ा, तह. पचपदरा, जिला बालोतरा।
23. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार पचपदरा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 05/2023(2023/227) बअनवान भागीरथराम उर्फ भागीरथसिंह बनाम अनिता वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 30.12.2024 के विरुद्ध पेश हुई।

उपस्थिति:-

1. वकील श्री भूपेन्द्र गहलोत अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री अचलाराम थोरी उतरदाता संख्या 01 की ओर से।
3. शेष रेस्पोंडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—:निर्णय:—

दिनांक:-28.07.2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 05/2023 (2023/227) बअनवान भागीरथराम उर्फ भागीरथसिंह बनाम अनिता वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.10.2024 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 30.12.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। दोनो अपीलों की विषय-वस्तु, प्रकृति एवं पक्षकारान् एवं कानूनी बिंदु समान होने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। प्रत्येक अपील में अलग- अलग मूल निर्णय की प्रति रखी जावे।

(निवनीत कुमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाइमेर

अपील संख्या 01/2025 बअनवान सुजानाराम वगैरह बनाम भगीरथराम वगैरह  
अपील संख्या 02/2025 बअनवान सुजानाराग वगैरह बनाम भगीरथराम वगैरह

अपीलांट्स द्वारा अपील संख्या 02/2025 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोंडेंट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि राजस्व ग्राम पोशाल नगर, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा के खेत खसरा संख्या 686 रकबा 1.9425 हैक्टेयर वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हुई है। जिसमें वादी/रेस्पों. संख्या 01 का 1/6 व 1/12 हिस्सा निहित है। वादग्रस्त आराजी में वादी का अशुद्ध नाम भागीरथसिंह जाति जाट है, जो दुरस्ती की जानी आवश्यक है, वादग्रस्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती हिस्सों में दर्ज है किन्तु मौके पर वादी व प्रतिवादीगण वर्षों से अपने अपने हिस्से पर काश्त कर रहे हैं। राजस्व रेकर्ड में वादग्रस्त आराजी का संयुक्त दर्ज होने से वादी/रेस्पों. संख्या 01 को काश्त करने, ऋण लेने एवं अपने जोत को उपजाऊ बनाने में अड़चने आ रही हैं। इस हेतु वादी/रेस्पों. संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया गया था। जिस पर वाद में प्रतिवादी संख्या 18 व 23 को किसी प्रकार का नोटिस तामील नहीं हुए एवं वाद में प्रतिवादी संख्या 04, 05, 07, 16, व 18 की मृत्यु भी हो चुकी थी, किन्तु उसके उपरांत भी प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही कर वादी की एकतरफा साक्ष्य लेकर विधि विरुद्ध तरीके से एकतरफा निर्णय पारित किया है। जिसमें अपीलांट के कब्जे-काश्त पर गौर किये बिना व अपीलांट से आपत्ति लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके विरुद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि ग्राम पोशाल नगर, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा के खेत खसरा संख्या 686 रकबा 1.9425 हैक्टेयर वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हुई है। जिसमें वादी/रेस्पों. संख्या 01 का 1/6 व 1/12 हिस्सा निहित है। वादग्रस्त आराजी में वादी का अशुद्ध नाम भागीरथसिंह जाति जाट है, जो दुरस्ती किये जाने हेतु वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। जिस पर वाद में प्रतिवादी संख्या 18 व 23 को किसी प्रकार का नोटिस तामील नहीं हुए एवं वाद में प्रतिवादी संख्या 04, 05, 07

(नवनीत कुमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाइमेर

.16, व 18 की मृत्यु भी हो चुकी थी, किन्तु उसके उपरांत भी प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही कर रेस्पोजेन्ट संख्या 01/वादी के एकतरफा साक्ष्य लिया जाकर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.10.2024 विधि विरुद्ध तरीके से एकतरफा पारित की गई। उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपीलांट को बिना कोई नोटिस या सूचना दिये ही अपीलांट को साक्ष्य या सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकतरफा मौका रिपोर्ट तैयार की जो माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत है। रेस्पोजेन्ट संख्या 1/वादी द्वारा रेस्पोजेन्ट संख्या 23 व अपीलांट संख्या 2 का वादी/रेस्पोजेन्ट संख्या 01 द्वारा जानबूझकर गलत पते का सम्मन प्रेषित कर तामील बताते हुए एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए इनके वारिसानों के हकों के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों से परे है। अपीलांधीन आदेश में अपीलांट/प्रतिवादी को जबावदावा प्रस्तुत करने साक्ष्य पेश करने एवं जिरह करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सभी पक्षकारों को सुनकर, साक्ष्य सबूत देने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् ही गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए, किन्तु अपीलांधीन निर्णय में उक्त समस्त तथ्यों का अभाव पाया गया है। साथ ही वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि वाद में प्रतिवादी संख्या 04, 05, 07, 16, व 18 की मृत्यु भी हो चुकी थी, वादी द्वारा वाद भी मृत व्यक्तियों के विरुद्ध पेश किया गया था, जबकि उक्त के संबंध में विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी मृतक व्यक्ति या पक्षकार के विरुद्ध निर्णय या डिक्री अगर पारित की जाती है तो उसे प्रारम्भ से ही शून्य प्रकृति की मानी जाएगी। उसके उपरान्त भी अपीलांधीन आदेश मृत व्यक्तियों के खिलाफ पारित किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। इस प्रकार अपीलांट न तो स्वयं और न ही वकालतन अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित था। बिना साक्ष्य लिये व बिना तनकीयात कायम किये ही अपीलांधीन निर्णय एकतरफा पारित किया गया। उक्त अपीलांधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई तथ्यों की जांच किये तथा बिना प्रतिवादी (अपीलांट) को सूचना प्रदान किये विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से परे जाकर विधि विरुद्ध अपीलांधीन निर्णय पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की समस्त आदेशिकाओं के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है कि वाद कार्यवाही नियमित रूप से संचालित नहीं की गई। तथा प्रतिवादी(अपीलांट) को बिना सूचना प्रदान किये ही आनन-फानन में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्डेड खातेदार अपीलांट के हितों पर भारी कुठाराघात किया है। अपीलांट वादग्रस्त

(नवनीत कुमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाहमेर

आराजी का रेकार्डेड खातेदार है तथा एक रेकार्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के खिलाफ है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था।

उक्तानुसासर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया को अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाया जावे।

उत्तरदाता की तरफ से अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस व रेस्पोंडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी की अपीलाधीन आराजी ग्राम पोशाल नगर, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा के खेत खसरा संख्या 686 रकबा 1.9425 हैक्टेयर वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आई हुई है। जिसमें वादी/रेस्पों. संख्या 01 का 1/6 व 1/12 हिस्सा निहित है। वादग्रस्त आराजी में वादी का अशुद्ध नाम भागीरथसिंह जाति जाट है, जो दुरस्ती किये जाने हेतु वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो पूर्णतया: विधि सम्मत एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप किया गया है। अपीलाधीन निर्णय की वादग्रस्त आराजी पर सभी पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा-काश्तशुदा है। रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 01 से 18 (वादीगण) को अपनी हक-हिस्से की आराजी को उपजाऊ बनाने एवं अपने कृषि कार्यों के विकास हेतु बैंक/संस्थाओं से ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिये सभी पक्षकारों के मध्य अपने-अपने कब्जे-काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवारा करने हेतु वाद पेश किया था। जिस पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक भूल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः अपीलांटस की अपील को सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।


(नवनीत कुमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाइमेर

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेसन के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलांट हस्तगत प्रकरण वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्ड खतेदार है। अपीलांट को सुने बिना ही एकतरफा आदेश पारित किया गया है जिससे अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी नहीं थी। रेस्पोंडेन्ट द्वारा अपीलांट की कब्जाशुदा आराजी पर कब्जा करने की धमकी देने पर अपीलांट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकल ली तब अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई, जानकारी होते ही अपील श्रीमान जी के समक्ष पेश कर दी। बाद जानकारी यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोंडेन्ट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलांटस को सूचित किया गया है। अपीलांटस द्वारा हस्तगत अपील बावजूद जानकारी अत्यंत विलंब से पेश की है, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेसन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील अपीलांट व रेस्पोंडेन्ट द्वारा हाजा न्यायालय में अपीलांट संख्या 02 व रेस्पोंडेन्ट संख्या 05 व 08 के फौतगी म्यूटेशन भरने की अनुमति बाबत् प्रार्थना-पत्र पेश किये गये जिन्हें रिकॉर्ड पर लिया गया। उक्त के संबंध में यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण हो गया है। अतः उक्त प्रार्थना-पत्रों को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पक्षकार उक्त प्रार्थना-पत्र को अधीनस्थ न्यायालय में पेश करने एवं चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे।

  
(निवेनात शुमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाइनेर


पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस की अनुपस्थिति में एकपक्षीय पारित की गई। अपीलांट राजस्थान से बाहर निवासरत थे। अखबार साया राजस्थान के समाचार पत्र में करवाया गया इसलिये बावजूद अखबार साया के भी प्रकरण की जानकारी अपीलांट को नहीं हो सकी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकतरफा पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। वकील अपीलांट के कथनानुसार एवं दस्तावेज अनुसार अपीलांट द्वारा अपनी ओर से पैरवी व प्रतिरक्षा करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता ही नियुक्त नहीं किया गया था। जबकि अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वह अपीलांट/प्रतिवादी को सूचित करते और सूचित करने के बाद ही प्रकरण में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिये थी। विचारण न्यायालय ने मूल वाद में प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसे विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय माननीय मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित नहीं किया गया है। मौका रिपोर्ट पर तहसीलदार स्वयं के हस्ताक्षर हैं लेकिन सहखातेदारों के मध्य विभाजन अपने-अपने हिस्से एवं कब्जे-काश्त अनुसार बराबर-बराबर किया गया जाना आवश्यक था, साथ ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित किया गया है जो विधि के सुस्थपित सिद्धान्त से बाधित है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में उक्त समस्त तथ्यों को अभाव प्रतीत होता है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया प्रतीत होता है।

अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।


(निवनीत कुमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाइमेर

अपील संख्या 01/2025 बअनवान सुजानाराम वगैरह बनाम मगीरथराम वगैरह  
अपील संख्या 02/2025 बअनवान सुजानाराम वगैरह बनाम मगीरथराम वगैरह

लिहाजा उपरोक्त विवेचन एवं विप्लेषण के आधार पर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 05/2023 (2023/227) बअनवान मगीरथराम उर्फ भागीरथसिंह बनाम अनिता वगैरह में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.10.2024 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 30.12.2024 विधि विरुद्ध पाये जाने से अपास्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, वाद एवं जबावदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए एवं विधि सम्मत विवेचन करते हुए एवं उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए सभी पक्षकारों के मध्य अपने-अपने कब्जे-काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करते हुए तनकीवार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

  
28/7/2025  
(नवनीत कुमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 28.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
28/7/2025  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर (नवनीत कुमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर